Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-18, Issue-2, September-2024
www.researchguru.net

# ''भारतीय समाज में जाति प्रथा एवं परिवर्तन''

जितेन्द्र कुमार अहिरवाल
सहायक प्राध्यापक (अतिथि विद्वान)
समाजषास्त्र
**Govt.collegejabera, Damoh(M.P.)**

***सारांश***

*हम जानते हैं कि मनुष्य का विकास धीरे–धीरे हुआ हैं जहां मनुष्य आदिमानव था तथा भोजन की तलाष में इधर से उधर भटकता रहता था धीरे–धीरे हम देखते हैं मनुष्य विकसित होता चला गया विकसित होने की इसी अवस्था में मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया और एक स्थिरत आने से मनुष्य अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग करने लगा चाहे किसी भी प्रकार का समाज हो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो षिक्षित या अषिक्षित हर समाज में कहीं न कहीं भिन्नता देखने को मिलती हैं चाहे वह आर्थिक ही क्यों न हो मनुष्य के रहन–सहन एवं उसकी वेषभूषा जो हर व्यक्ति से अलग करती हैं जिस कारण से जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथा का जन्म होता हैं । लेकिन भारतीय आर्यो का सामाजिक संगठन चतुर वर्णी के सिद्वांत पर आधारित था जिसका अर्थ होता हैं चार वर्गो में समाज का विभाजन ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र हो गया।[1] जो कई पीढियां तक समाज में जातिवाद के रूप में जाना जाता हैं । जिससे भारतीय समाज पिछडता गया और आज भी भारत का संविधान लागू होने के बाद भी जातिवाद जैसी व्असमानताएं संचालित हो रही हैं।*

***कुंजी शब्द*** *– जाति प्रथा, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक भेदभाव, जाति व्यवस्था।*

**प्रस्तावना–** आज हम भारत देष में देखे तो लगभग 3000 जातियों और उपजातियां हैं।[2] जिसका मुख्य कारण व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा किया गया शोषण ही हैं। हम देखते हैं हमेषा एक निर्बल व्यक्ति का शोषण एक ताकतवर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है आर्थिक हो चाहे शारीरिक शोषण हो भारत देष में तो जाति प्रथा इस हद तक समाज पर हावी हैं जो भारत देष की व्यवस्था को ही तहस–नहस करके रखी हैं। जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाया गया एक शोषणकारी षड्यंत्र हैं जो हमें भारत में लिखे गए भिन्न–भिन्न समय पर अभिलेख से मिलता हैं।

**उत्पत्ति :–** जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करना या यह कहना कब हुई तो कठिन होगा लेकिन भारत जैसे देख में विभिन्न शास्त्रों जैसे वेद काव्य पुराण तथा यहां लिखे गए कुछ अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो उनसे हमें पता चलता हैं कि उत्पत्ति हुई हैं जिसमें ऋग्वेद संहिता से हमें जाति की उत्पत्ति का पता चलता हैं जिसमें कहा गया हैं कि ब्रह्या विभिन्न अंगो से जैसे मुख से ब्राह्यण की भुजा से क्षत्रिय की, ऊरू से वैष्या की तथा पैरो से शूद्र की उत्पत्ति हुई हैं कहा गया हैं[3] कई सारे समाज शास्त्रियों ने जब समाज का अध्ययन

किया तो जाति प्रथा के बारे में अपने–अपने विचार व्यक्त किये और 'बेकर' का विचार भारतीय जाति व्यवस्था के आधार चार वर्ण हैं जो चारो अंगों से हैं। इस व्यवस्था के शीर्ष पर पुरोहित हैं जो लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले आर्यो के वंषज हैं।[4] इसी प्रकार समाजषास्त्री 'होकार्ट' ने भी अपने विचारों में धर्म को जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण माना हैं और 'रिजले नेवी' प्रजाति भिन्नता को जाति की उत्पत्ति का कारण माना हैं। अगर विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार हम देखे तो हमें जाति की उत्पत्ति का पता चलता हैं 'जाति' शब्द जिसे अंग्रेजी में Cast और पुर्तगाली शब्द Cast हैं जिसका अर्थ प्रजाति जन्म या भेद से होता हैं। जाति प्रथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि उच्च निम्न का जो संस्करण पाया जाता हैं उसका संबंध न तो व्यवसाय से न धन से और न ही षिक्षा और न ही धर्म सिर्फ जन्म पर आधारित होता हैं जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं यह व्यवस्था भारत देष में बहुत लंबे समय से प्रचलन में हैं।

**जातियों में संस्करण**– जैसा कि हम जानते हैं जातियों में एक संस्करण जो उच्च–नीच की भावना पैदा करता हैं जो संस्करण पाया जाता हैं, जो आज भी हमें भारत देष में देखने को मिलता हैं जिसमें समाज के व्यक्ति एक दूसरे से छुआछुत जैसी भावनाएं रखते हैं क्योंकि जाति एक बंद वर्ग का रूप हैं जाति संस्करण में चार स्तरों में वर्णन किया गया हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शुद्र तथा अति शूद्र के रूप में बांटा गया हैं जिस संस्करण में ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे के संस्करण में हैं इस संस्थान के अंतर्गत छुआछुत जैसी कुप्रथाओं का जन्म होता हैं। देखते हैं कि इन संस्थानों में व्यक्ति, व्यक्ति से ही भेद करता हैं।

**जाति में खानपान एवं सहवास पर प्रतिबंध**– जाति में खानपान प्रतिबंधो को लगाया गया हैं । जिसमें उच्च जाति के व्यक्ति निन्न जाति के व्यक्ति के यहां न तो खाना पीना खा सकता हैं और न ही उनसे शारीरिक किसी भी प्रकार के संबंध बन सकता हैं जिस वस्तु को निम्न जाति के व्यक्ति ने अपने हाथों से या शरीर के किसी भी हिस्से से स्पर्ष किया हैं, तो उस वस्तु को उच्च जाति के व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकते बल्कि उस वस्तु को छुते भी नहीं हैं। जिस पर जोतिराव फुले ने कहा कि मैं जाति व्यवस्था के अन्याय की और छुआछुत के नियमों की घोर निंदा की 1873 में उन्होनें सत्यषोधक समाज की स्थापना की जो निम्न जाति के लोगों के लिए समर्पित थी।[5] ऐसी व्यवस्था जाति के अंतर्गत बनाई गई हैं जो समाज को तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों में भिन्नता पैदा करती हैं।

**धार्मिक कार्यो पर प्रतिबंध**– भारत देष में धार्मिक कुरीतियों हमें देखने को मिलती हैं जिसमें निम्न जाति के व्यक्तियों को तथा भारत में रहने वाली शूद्रों एवं महिलाओं को धार्मिक कार्यो में सहभागिता की अनुमति नहीं दी जाती थी जो आज भी हमें कई स्थानों पर देखने को मिलती हैं। मंदिरों में निम्न जाति के व्यक्तियों को जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध था तथा धार्मिक कार्यक्रम करवानें पर भी प्रतिबंध था इन प्रतिबंधों के कारण भारत जैसे देष में जाति प्रथा बहुत तेजी से फैल रही थी जिसें बहुत शक्ति से पालन करवाया जाता था। कैलाष चंद्र जैन ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संस्थानों में कहा हैं कि '' प्राचीन काल में ब्राह्मणों को विषेष अधिकार प्राप्त थें और शूद्रों पर अन्य अत्याचार किए जाते थें।[6] धार्मिक को प्रथाओं के कारण निम्न जाति के व्यक्तियों को चाहे वह पुरूषों या महिला हो किसी भी धार्मिक कृत में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी न ही धार्मिक कार्यक्रम करवाने की अनुमति थी धार्मिक कार्यो के कारण समाज में जाति प्रथा अत्यधिक बढतीं गई जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा जिससे समाज में कई सारी बुराईयों का जन्म हुआ।

**व्यवसाय का चुनाव एवं विवाह पर प्रतिबंध**– जाति के अंतर्गत व्यक्ति को

व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं थी वह अपने वहीं पंरपरागत व्यवसाय कर सकते थें जो पूर्व में पीढियां करती आई हैं । अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यवसाय को करना चाहता था तो उच्च वर्ग के व्यक्ति दूसरे व्यवसाय करने नहीं देते थे तथा जो व्यवसाय दूसरे लोग करते थें वह करने की अनुमति नहीं देते थे इसी कारण विवाह में भी प्रतिबंध होता हैं। जाति व्यवस्था अर्न्तवैवाहिक थी इसका अर्थ यह था कि जाति का कोई भी सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करेगा जाति यानी प्रजाति के रक्त की शुद्वता बनी रहेगी।[7] जो जिस जाति का हैं उसी जाति में विवाह कर सकता था बाकी किसी अन्य जाति में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। भारतीय समाज में जाति प्रथा इस कदर थी की व्यक्ति को न तो व्यवसाय और न विवाह किसी अन्य जाति का व्यवसाय और अन्य जाति में विवाह करने की अनुमति नहीं देता था यह सब प्रक्रिया हैं कई पीढ़ियां तक चली आ रही जिस जाति प्रथा पीढ़ी चली आ रही हैं । अगर भारतीय समाज को हम देखे तो अलग–अलग भाषा में अलग–अलग प्रांतो में बांटा हुआ हैं प्रजाति प्रथा एक ऐसी प्रथा हैं जो हर जगह कायम हैं आज भी हम देखते हैं भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति वहीं व्यवसाय कर रहे हैं और आज भी विवाह जो होते है अपनी ही जाति में होते हैं।

**समाज का कई समूहों में विभाजन** – जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज चार वर्गो में विभाजित कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र एवं अति शूद्र इन चार वर्गों में समाज का विभाजन हो गया जिसमें सबसे उच्च वर्ग का समाज में कार्य अलग था जिसमे पूजा–पाठ करना और षिक्षा दूसरो वर्ग था क्षत्रिय जिनका काम समाज की रक्षा करना होता था, तीसरा वर्ग था वैष्य जिनका काम था कर वसूली करना और चौथा वर्ग था शूद्र जो बाकी सारे काम करते थें इस आधार पर समाज समूह में विभाजित था जो एक बहुत शोषणकारी व्यवस्था चली आ रही थी।

**जाति प्रथा में परिवर्तन** – जाति प्रथा में परिवर्तन ब्रिटिष सरकार के समय से ही प्रारंभ हो गया था लगभग 1860 से जो धीरे–धीरे चलकर समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाये जहां भारतीय समाज जाति प्रथा में इस कदर झगड़ा हुआ था अंधविष्वास पाखंड के कारण व्यक्तियों का सिर्फ षोषण हो रहा था। जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए बहुत अहम कदम उठाए जिससे निम्न जातियों के लोगों को भी सरकारी नौकरियों में सम्मिलित किया, जो जाति प्रथा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था इसके बाद भारत में भारतीय मूल के कई सारे व्यक्तियों ने जाति प्रथा पर अहम योगदार दिया तथा जाति प्रथा को दूर करने के लिए कई लेख लिखें जिनका प्रकाषन किया जिसमें जाति प्रथा और पुनः विवाह जैसी प्रथाओं का धीरे–धीरे अंत हुआ आज भारत देष में जाति प्रथा धीरे–धीरे कम होती जा रही है जिस प्रकार षिक्षा का स्तर बढ़ रहा हैं कि समाज में जाति प्रथा कम होती जा रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ बी आर अंबेडकर, और भगत सिंह यह भारत देष के वह महान व्यक्ति है जिन्होंने जाति प्रथा की परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही 'षोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने में अपना योगदान दिया जिससे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता हैं।'

**अंतराजातीय विवाह एवं व्यवसाय में परिवर्तन** – भारत देष से जाति व्यवस्था करने में अंतराजातीय विवाह एवं व्यवसाय में स्वतंत्रता होना अति आवष्यक हैं जिससे भारत में जाति व्यवस्था हो सकें चाहे स्त्री हो या पुरूष अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जाति में विवाह कर सकते हो तथा व्यक्ति अपने व्यवसाय का चयन कर सकता हो अंतराजातीय विवाह करने के लिए 'हिंदू विवाह अधिनियम 1955' की धारा 5 के अनुसार अंतराजातीय विवाह करने की

अनुमति प्रदान करता हैं स्त्री और पुरूष जो निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करते हैं उनका विवाह रीति–रिवाज एवं परंपरा के अनुसार अगर नहीं होता हैं तो उन्हें न्यायालय के निर्देषन अनुसार विवाह कर सकते हैं इसी प्रकार व्यवसाय का चयन भी व्यक्ति की स्वतंत्रता होती हैं जिससे समाज में जाति प्रथा में परिवर्तन आएगा तथा भारतीय समाज जाति प्रथा धीरे–धीरे समाप्त होती जाएगी।

**छुआछुत भोजन धार्मिक समानता की स्वतंत्रता –** जाति के अंतर्गत एक दूसरे से छुआछुत साथ में भोजन न करना धार्मिक स्थलो पर प्रवेष की अनुमति नहीं थी। धीरे–धीरे छुआछुत जैसी बुराईयों का अंत होता जा रहा हैं आधुनिकीकरण होने के कारण आज साथ में भोजन जैसी सुविधाएं जैसे शादियों में बफर सिस्टम होटल में साथ में खाना धार्मिक स्थलो पर भंडारों का आयोजन। इन सब चीजो के होने से समाज में लगा प्रतिबंध धीरे–धीरे समाप्त होता जा रहा हैं आज धार्मिक स्थलों पर हर व्यक्ति को जाने की अनुमति हैं।

**वैज्ञानिक प्रगति एवं औद्योगीकरण से परिवर्तन–** ब्रिटिष शासन काल के बाद भारत देष में दो चीजो से तेजी से परिवर्तन हुआ। एक वैज्ञानिक प्रगति हुई दुसरा औद्योगिकरण का जन्म इन दोनों परिवर्तनों से जाति प्रथा में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता हैं। आज बड़े–बड़े उद्योग धंधो को स्थापित करने के बाद वहां कार्यरत श्रमिको में जातिवाद कम देखने को मिलता हैं जिससे समाज में औद्योगिकरण से परिवर्तन आ जाता हैं। आज जाति, धर्म और परंपरा के आधार पर वर्गो का निर्माण नहीं होता औद्ययोगिकी में समाज के ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया हैं और उसमें परिवर्तन ला दिया हैं।[8] आज भारत में विज्ञान तथा औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे निकलता जा रहा हैं जिसमें भारत के हर एक व्यक्ति को योगदान हैं आज अगर भारत विकासषील देषों की श्रेणी में सम्मिलित होने वाला हैं तो जातिवाद में हुए परिवर्तन सबसे बड़ा कारण हैं।

**षिक्षा और संवैधानिक प्रावधान–** भारतीय समाज में जैसे की षिक्षा भारत के हर वर्ग को ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। पहले षिक्षा का जो अधिकार था समाज के उच्च वर्ग को ही प्राप्त था लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के बाद षिक्षा का अधिकार भारत के हर नागरिक पर लागू हुआ आज भारत षिक्षा के क्षेत्र में अनेको कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा हैं जैसे–जैसे षिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे–वैसे निम्न जाति के व्यक्तियों में परिवर्तन आता जा रहा हैं। जिससे जातिवाद में परिवर्तन देखने को मिल रहा हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जातिवाद को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15,16,17,29,38, एवं अनुच्छेद 40 में जाति भेदभाव में परिवर्तन एवं समानता सामान्य प्रदान करती हैं तथा 'अपराध अधिनियम 1955' अस्पृष्यता के निर्वाह को दंडनीय अपराधा घोषित करता हैं।[9] जिससे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था बहुत परिवर्तन देखने को मिलता हैं। जाति भेदभाव, छुआछुत, भोजन के असमानता कुछ समाप्त करता हैं जिससे भारतीय समाज में जाति प्रथा जैसी कुप्रथाओं का अंत होता जा रहा है।

**निष्कर्ष–** जाति व्यवस्था से भारतीय समाज में रूढ़िवादी विचारधार चली जा रही थी जिस में ब्राहम्ण पुरोहित लोग अपने पेट पालने के लिए पाखंडो द्वारा जगह जगह पर बार–बार अषिक्षित शूद्रो को उपदेष देते रहे थे जिससे जाति बात को बढावा मिला हैं।[10] जो हजारो वर्षो से लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करके रखी हुई थी धीरे–धीरे इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता हैं। आज भारतीय समाज में जातिवाद धीरे–धीरे समाप्त होता जा रहा हैं जो भारत देष को विकसित बनाने में अहम भूमिका निभा रहा हैं जातिवाद जैसी परंपरागत प्रथाओं को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान ने

शूद्रों की जिंदगी में नई क्रांति ला दी हैं आज भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेको देष के व्यक्तियों ने जाति खत्म करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं जिससे आज भारत देष की जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा हैं ।

**संदर्भ ग्रंथ सूची –**


1. अंबेडकर, बी.आर (2023), *शूदों का इतिहास,* अजमेर रोड जयपुर, पुष्ठ क्र. 4
2. मुखर्जी, रविंद्रनाथ (भारतीय समाज) डॉ भरत अग्रवाल षिवलाल एंड कंपनी खजूरी बाजार इंदौर पृष्ठ क्र 188
3. ऋग्वेद संहिता वेदमूर्ति तपोनिष्ठा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गीता प्रेस गोरखपुर भाग–4
4. बघेल जी.एस. भारतीय समाज एवं संस्कृति कैलाष पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग भोपाल पृष्ठ क्र 42, 45
5. भारती समाज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद 2007 पृष्ठ क्रं. 46
6. श्रीवास्तव ए.पी. डॉ.एलएस गजपाल समाजषास्त्र हमीदिया रोड भोपाल पृष्ठ क्रं. 179
7. दोषी एस.एल. भारतीय समाज विचारक रावत पब्लिकेषन न्यू दिल्ली 2021 पृष्ठ क्रं. 27
8. डोंगरी प्रियंक/रिया खत्री, औद्योगिक समाजषास्त्र कैलाष पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग भोपाल 2014 पृष्ठ 220
9. पाटील अषोक भारतीय समाज मध्यप्रदेष हिंदी ग्रथ अकादमीत्र/डॉ. एसएस भदौरिया पृष्ठ क्रं. 35,39
10. गौतम बुक सेंटर प्रकाष एवं वितरण C-263A चंदन सदन हरदेव पुरी शाहदरा दिल्ली 110093 पृष्ठ क्रं. 26